(2)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 29/2025 (Bank Case)
GCMS No. 2025/198

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र–400013 जिसका शाखा कार्यालय– 3, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर (राज0) में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री यशस्वी खाण्डल।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Mrs. Gopal Chaurasiya Since Deceased Through His legal Heirs (Proprietor of Mr. Chaurasiya Pan & Hallsales)
(Borrower&Co-borrower &Mortgagor)
A. Mrs. Manju Bai Chaurasiya W/o Late Mr. Gopal Chaurasiya
Address1: Main road Ladpura, Main Road Neeli Haweli, Kota (Raj.)324006
Address2: H.No. 54, Pratap Chowk, Ladpura, Kota (Raj.) 324006
B. Mr. Hemant Chaurasiya S/o Late Mr. Gopal Chaurasiya
Address1: Main road Ladpura, Main Road Neeli Haweli, Kota (Raj.)324006
Address2: H.No. 54, Pratap Chowk, Ladpura, Kota (Raj.) 324006
2. Mr. Shubham Chourasiya S/o Late Mr. Gopal Chaurasiya (Co-Borrower)
(Since Deceased Through His legal Heirs)
A. Mrs. Ayushi Chourasiya W/o Late Mr. Shubham Chourasiya
Address1: H.No. 150, Sanatan Dharm Mandir ke pass, Shastri nagar, Dadabari, Kota (Raj.)324006

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 28 .01.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र–400013 जिसका शाखा कार्यालय– 3, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर (राज0) में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 05.02.2020 को जर्ये ऋण खाता संख्या 84373090 में रूपये 15,00,000/–(अक्षरेः पन्द्रह लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **स्व0 श्री गोपाल चौरासिया पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल चौरसिया जरिये विधिक वारिसान श्रीमती मंजू बाई पत्नी स्व0 श्री गोपाल चौरसिया, श्री हेमंत चौरसिया पुत्र स्व0 श्री गोपाल चौरसिया** की एक आवासीय सम्पत्ति जोकि प्रताप चौक हरिजन बस्ती, लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 1349.30 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– रोड, पश्चिम में– चौक हरिजन बस्ती, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– सरकारी भूमि और गोविन्द लाल का मकान, है को प्रार्थी वित्तिय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.10.2024 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 11,14,496/–(अक्षरे ग्यारह लाख, चौदह हजार चार सौ छियानवें रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 06.05.2025 तक शेष

(3)

देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तिय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 06.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 06.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 06.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **स्व0 श्री गोपाल चौरासिया पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल चौरसिया जरिये विधिक वारिसान श्रीमती मंजू बाई पत्नी स्व0 श्री गोपाल चौरसिया, श्री हेमंत चौरसिया पुत्र स्व0 श्री गोपाल चौरसिया की एक आवासीय सम्पत्ति जोकि प्रताप चौक हरिजन बस्ती, लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 1349.30 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में– रोड, पश्चिम में– चौक हरिजन बस्ती, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– सरकारी भूमि और गोविन्द लाल का मकान,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्व कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 28 .01.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)